क्रमांक-3

मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरूवार, दिनांक 04 दिसम्बर, 2025 (अग्रहायण 13, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:02 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

1. स्वागत उल्लेख

हरियाणा राज्य की विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री हरविन्दर कल्याण का स्वागत

प्रश्नकाल के प्रारंभ में माननीय अध्यक्ष द्वारा उल्लेख किया गया कि आज अध्यक्षीय दीर्घा में हरियाणा राज्य की विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री हरविन्दर कल्याण उपस्थित है. सदन की ओर से उनका स्वागत है. नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार द्वारा उनके दल की ओर से एवं संसदीय कार्य मंत्री द्वारा भी उनका स्वागत किया गया.

2. विशेष उल्लेख

अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस एवं भारतीय नौसेना दिवस की शुभकामनाएं

आसंदी द्वारा सदन को अवगत कराया कि आज अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस एवं भारतीय नौसेना दिवस है. इस अवसर आप सभी माननीय सदस्यों को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने भारतीय नौसेना को विश्व की तीसरी सबसे ताकतवर नौसेना का उल्लेख करते हुए देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया.

3. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 7 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1 से 7 तक) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 180 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 198 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

4. औचित्य का प्रश्न एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

प्रश्नकाल के दौरान संसदीय कार्य मंत्री द्वारा आपत्ति व्यक्त करते हुए अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया गया कि सदन के अंदर और बाहर मीडिया में बोला गया है कि प्रश्न बदल दिये जाते है. यह सीधा आसंदी पर आरोप है. यदि इस प्रकार के आरोप आसंदी पर लगेगे या विधान सभा की व्यवस्था पर लगेंगे, तो यह उचित नहीं है.

दूसरा विषय यह है कि अगर किसी प्रश्न का उत्तर सही नहीं है तो विधान सभा में प्रश्न एवं संदर्भ समिति है, आप उसमें जा सकते है. सिर्फ भाषण देने के लिए इस पूरी विधान सभा की कार्यवाही को बदनाम करते है, यह तरीका गलत है. यह कतई उचित नहीं है. इस संबंध में कृपया आप व्यववस्था दीजिए.

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रश्न संख्या 1 पर चर्चा के दौरान व्यवस्था देते हुए कहा गया कि सामान्य तौर पर प्रश्न हो, ध्यानाकर्षण हो या अन्य विषय हो, सबके लिए नियम बने हुए है. इसी प्रकार अति वर्षा में भी किसान को कितना नुकसान हुआ है और उस नुकसान के बाद उसको राहत दी जानी है या नहीं दी जानी है. यह भी सारे मानदण्ड बने हुए है. अगर मानदण्डों के अनुसार नुकसान नहीं हुआ होगा तो निश्चित रूप से राहत

राशि नहीं मिल पाती है. यह हमारे संज्ञान में रहना चाहिए. सदन के जो नियम बने हुए है, उन नियम प्रक्रिया को भी हम सब लोगों को पढना चाहिये. नियमों के अंतर्गत प्रश्न और ध्यानाकर्षण लगायेंगे तो संशोधन का कोई प्रश्न नहीं उठेगा.

5. बहिर्गमन.

डॉ. सतीश सिकरवार, सदस्य द्वारा प्रश्न संख्या 1 पर दिये गये शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.

6. उल्लेख

1. एक्रोपोलीस इंदौर लॉ कालेज के छात्रों का स्वागत उल्लेख

प्रश्नकाल के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा उल्लेख किया गया कि आज दर्शक दीर्घा में एक्रोपोलीस इंदौर के लॉ कालेज के छात्र बैठे है. सदन की ओर से उनका स्वागत है.

2. वीर शहीद टंट्या मामा के शहादत दिवस पर आदरांजलि

अध्यक्ष महोदय द्वारा उल्लेख किया गया कि आज हमारे वीर शहीद टंट्या मामा का शहादत दिवस है. मैं सदन की ओर से उन्हें आदरांजलि व्यक्त करता हूं.

7. गर्भगृह में प्रवेश, नारेबाजी एवं बहिर्गमन

प्रश्न संख्या 5 पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर श्री उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कई सदस्यगण गर्भगृह में आए, नारेबाजी की एवं बहिर्गमन किया.

8 . नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1)	डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य ने जावरा विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न मार्गों का निर्माण किये जाने,
(2)	डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य ने ग्राम पंचायत अमझर, जिला मैहर में ट्रांसफार्मर लगवाये जाने,
(3)	इंजीनियर प्रदीप लारिया, सदस्य ने मकरोनिया स्थित ग्राम चावडा, बिहारीपुरा एवं खजूरिया में निर्मित सडकों पर पुल का निर्माण किये जाने,
(4)	श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल, सदस्य ने धार जिले के कुक्षी के थाना डही में दर्ज अपराध क्रमांक 129/2025, रोशनी पिता नवल सिंह के अपहरणकर्ताओं की फरारी में पुलिस की मिलीभगत की जांच संबंधी,
(5)	श्रीमती सेना महेश पटेल, सदस्या ने अलीराजपुर विधान सभा क्षेत्र में नगर पालिका भवन, ब्रिज एवं विश्राम गृह का निर्माण किये जाने,
(6)	श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य ने प्रदेश में आदिवासी उपयोजना के तहत् जारी फण्ड का लाभ आदिवासियों को न मिल पाने,
(7)	श्री दिनेश गुर्जर, सदस्य ने मुरैना विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बमौर शहर में स्टेडियम निर्माण कराये जाने,
(8)	श्री मुकेश टंडन, सदस्य ने विदिशा स्थित शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय का छात्रावास जीर्ण-शीर्ण होने एवं
(9)	श्री मोहन सिंह राठौर, सदस्य ने ग्वालियर जिला स्थित भितरवार में सडकों की साईड शोल्डर न भरे जाने संबंधी
	संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढी गई.

9. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) **श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त)** ने

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार -

(i) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन मध्यप्रदेश शासन 2025 का प्रतिवेदन संख्या 4 (अनुपालन लेखापरीक्षा-वाणिज्यिक) एवं

(ii) 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार मध्यप्रदेश सरकार के वित्त लेखे वर्ष 2024-2025 (खण्ड-I एवं खण्ड-II) एवं विनियोग लेखे वर्ष 2024-2025 तथा

(ख) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 130 (क) की उपधारा (2) एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 122 (क) (2) की अपेक्षानुसार नगरीय निकायों पर संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा मध्यप्रदेश का वार्षिक संपरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 एवं

(ग) मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 18 सन् 2005) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत बनाये गये नियम 2006 की कंडिका-9 की अपेक्षानुसार -

(i) वित्तीय वर्ष 2024-2025 की द्वितीय छः माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ:माही समीक्षा विवरण तथा

(ii) वित्तीय वर्ष 2025-2026 की प्रथम छ:माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ:माही समीक्षा विवरण

पटल पर रखे गये.

(2) **श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री** ने मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (संशोधन) अधिनियम, 1972 की धारा 74 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 पटल पर रखा.

(3) **श्री उदय प्रताप सिंह, परिवहन मंत्री** ने मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 212 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार निम्नांकित अधिसूचनाएं:-

(क) क्रमांक 3.3-4-0001-2022-Sec-1-आठ (TRP)भोपाल,दिनांक 12 अगस्त, 2025 तथा

(ख) क्रमांक 3623/973078/2022/आठ,भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर, 2025

पटल पर रखे गये.

(4) **श्री दिलीप अहिरवार, राज्यमंत्री पर्यावरण** ने जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 की उपधारा (7) एवं वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 पटल पर रखा.

(5) **श्री चेतन्य कुमार काश्यप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** (डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत) ने -

(क) खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 के नियम 18 (3) की अपेक्षानुसार जिला खनिज प्रतिष्ठान जिला मण्डला, सीधी, नरसिंहपुर, रायसेन, आगर-मालवा, अशोकनगर, हरदा, जबलपुर एवं सागर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 तथा जिला मण्डला, झाबुआ, नरसिंहपुर, दमोह, सीहोर, रायसेन, सागर, आगर-मालवा, अशोकनगर, हरदा एवं जबलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024 तथा जिला नीमच, सीहोर, रायसेन एवं जबलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 एवं

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 51वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2016-2017 (वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2017 के लिए)

पटल पर रखे गये.

(6) **श्री नारायण सिंह कुशवाह, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री** ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 83 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार आयुक्त, दिव्यांगजन, मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 पटल पर रखा.

10. ध्यानाकर्षण

(1) **श्री अभय मिश्रा, सदस्य,** रीवा जिले के विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामों एवं टोलों में विद्युतीकरण का कार्य अपूर्ण होने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री तुलसीराम सिलावट, मंत्री, जल संसाधन ने चर्चा का उत्तर दिया.

(2) **श्री प्रणय प्रभात पांडे, सदस्य,** कटनी की हाउसिंग बोर्ड कालोनी में व्यापारी के घर हुई आगजनी के संबंध में गैर जमानती गलत धाराएं लगाये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया. डॉ. अभिलाष पाण्डे, श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल एवं श्री संजय सत्येन्द्र पाठक सदस्यगण ने भी चर्चा में भाग लिया. श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ने चर्चा का उत्तर दिया.

11. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 36-खुरई से निर्वाचित सदस्य, श्री भूपेन्द्र सिंह एवं निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 82-धौहनी (अ.ज.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्री कुंवर सिंह टेकाम को विधान सभा के दिसम्बर, 2025 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की.

12. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

इंजीनियर प्रदीप लारिया,सभापति ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का षष्ठम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार शुक्रवार,दिनांक 5 दिसम्बर,2025 को चर्चा के लिए आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करके अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए निम्नलिखित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय संकल्प	शुक्रवार दिनांक 5 दिसम्बर 2025	निर्धारित समय
1. (क्रमांक-01)	श्री अभय मिश्रा	30 मिनट
2. (क्रमांक-03)	श्री बृजबिहारी पटेरिया	30 मिनट
3. (क्रमांक-08)	श्री नारायण सिंह पट्टा	30 मिनट
4. (क्रमांक-09)	इंजीनियर प्रदीप लारिया	30 मिनट

इंजीनियर प्रदीप लारिया ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के षष्ठम प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(2) श्री भंवरसिंह शेखावत, सभापति ने लोक लेखा समिति का अड़सठवां से सतासीवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि अध्यक्ष महोदय आपके निर्देश के अनुसार समिति ने पुराने बैकलाग को भी समाप्त करने का कार्य किया है. इसके लिए मैं समिति के सभी आदरणीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं. विधान सभा के प्रमुख सचिव महोदय और लोक लेखा समिति के संपूर्ण सटॉफ को बधाई देता हूं.

13. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय की घोषणानुसार आज की कार्यसूची में पदक्रम 6 के सरल क्रमांक 1 से 71 तक में निम्नांकित याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

(1) **श्री कैलाश कुशवाहा** (जिला-शिवपुरी)
(2) **श्री पंकज उपाध्याय** (जिला-मुरैना)
(3) **श्री विजय रेवनाथ चौरे** (जिला-छिन्दवाड़ा)
(4) **श्री दिनेश राय मुनमुन** (जिला-सिवनी)
(5) **डॉ. सतीश सिकरवार** (जिला-ग्वालियर)
(6) **श्री मथुरालाल डामर** (जिला-रतलाम)
(7) **श्री नारायण सिंह पट्टा** (जिला-मंडला)
(8) **श्री गोपाल सिंह इंजीनियर** (जिला-सीहोर)
(9) **श्री भैरो सिंह बापू** (जिला-आगर-मालवा)
(10) **श्री मुकेश टंडन** (जिला-विदिशा)
(11) **श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर** (जिला-निवाड़ी)
(12) **श्री सुरेश राजे** (जिला-ग्वालियर)
(13) **श्री साहब सिंह गुर्जर** (जिला-ग्वालियर)
(14) **श्रीमती सेना महेश पटेल** (जिला-अलीराजपुर)
(15) **श्री दिलीप सिंह परिहार** (जिला-नीमच)
(16) **श्री विपीन जैन** (जिला-मंदसौर)

(17) श्रीमती ललिता यादव (जिला-छतरपुर)
(18) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी (जिला-मैहर)
(19) श्री मोंटू सोलंकी (जिला-बड़वानी)
(20) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल (जिला-धार)
(21) श्री विश्वनाथ सिंह मुलाम भैया (जिला-नरसिंहपुर)
(22) श्री प्रहलाद लोधी (जिला-पन्ना)
(23) श्री यादवेन्द्र सिंह (जिला-टीकमगढ़)
(24) श्री बिसाहूलाल सिंह (जिला-अनूपपुर)
(25) श्री अनिल जैन (निवाड़ी) (जिला-निवाड़ी)
(26) डॉ. हिरालाल अलावा (जिला-धार)
(27) इंजीनियर प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(28) श्री प्रणय प्रभात पांडे (जिला-कटनी)
(29) श्री राजन मण्डलोई (जिला-बड़वानी)
(30) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू (जिला-नीमच)
(31) श्री विक्रम सिंह (विक्की) (जिला-सतना)
(32) श्री राजेन्द्र भारती (जिला-दतिया)
(33) श्री बृजबिहारी पटैरिया (जिला-सागर)
(34) श्री मुकेश मल्होत्रा (जिला-श्योपुर)
(35) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन (जिला-सागर)
(36) श्री अभय मिश्रा (जिला-रीवा)
(37) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)
(38) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा (जिला-सतना)
(39) श्री राजेश कुमार वर्मा (जिला-पन्ना)
(40) श्री दिनेश गुर्जर (जिला-मुरैना)
(41) श्री मोहन सिंह राठौर (जिला-ग्वालियर)
(42) श्रीमती अनुभा मुंजारे (जिला-बालाघाट)
(43) श्री श्याम बरडे (जिला-बड़वानी)
(44) श्री राजकुमार मेव (जिला-खरगोन)
(45) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह (जिला-पन्ना)
(46) श्री सचिन बिरला (जिला-खरगोन)
(47) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव (जिला-खरगोन)
(48) श्री फूलसिंह बरैया (जिला-दतिया)
(49) श्री हजारीलाल दांगी (जिला-राजगढ़)
(50) श्री उमाकांत शर्मा (जिला-विदिशा)
(51) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया)
(52) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(53) श्री रमेश प्रसाद खटीक (जिला-शिवपुरी)
(54) श्री घनश्याम चन्द्रवंशी (जिला-शाजापुर)
(55) सुश्री रामश्री राजपूत (बहिन रामसिया भारती) (जिला-छतरपुर)
(56) श्री रजनीश हरवंश सिंह (जिला-सिवनी)
(57) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे (जिला-भिण्ड)
(58) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिन्दवाड़ा)
(59) श्री देवेन्द्र पटेल (जिला-रायसेन)
(60) श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-धार)
(61) श्री विवेक विक्की पटेल (जिला-बालाघाट)
(62) श्री प्रदीप पटेल (जिला-मऊगंज)
(63) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा (जिला-नर्मदापुरम)
(64) श्री जगन्नाथ सिंह रघुवंशी (जिला-अशोकनगर)
(65) श्री कामाख्या प्रताप सिंह (जिला-छतरपुर)
(66) श्री वीरसिंह भूरिया (जिला-झाबुआ)
(67) श्री विजयपाल सिंह (जिला-नर्मदापुरम)

(68) श्री केदार चिड़ाभाई डावर (जिला-खरगोन)
(69) श्रीमती गंगा सज्जन सिंह उईके (जिला-बैतूल)
(70) श्री बाला बच्चन (जिला-बड़वानी)
(71) श्री गौरव सिंह पारधी (जिला-बालाघाट)

14. वित्तीय विधि विषयक कार्य

द्वितीय अनुपूरक अनुमान (वर्ष 2025-2026) की मांगों पर मतदान

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि परम्परानुसार अनुपूरक मांगों की चर्चा में सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाकर उन पर एक साथ चर्चा होती है अत: उप मुख्यमंत्री (वित्त) द्वारा सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाएं.

तद्नुसार, श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि –

"दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 47, 48, 49, 50, 53 एवं 55 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर तेरह हजार एक सौ पचपन करोड़, चौरानवे लाख, इक्यासी हजार, पिचासी रुपये की अनुपूरक राशि दी जाए.".

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया –

1. श्री बाला बच्चन

सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

2. श्री ओम प्रकाश सखलेचा

(अपराह्न 1.30 बजे से 3.08 बजे तक अंतराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

3. श्री भंवर सिंह शेखावत
4. डॉ. सीतासरन शर्मा
5. डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह
6. श्री गौरव सिंह पारधी

सभापति महोदय (श्री लखन घनघोरिया) पीठासीन हुए.

7. श्री आरिफ मसूद
8. डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय
9. श्री यादवेन्द्र सिंह
10. श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
11. श्री मुरली भँवरा
12. श्री अभय मिश्रा
13. श्री सिद्धार्थ तिवारी

15. अध्यक्षीय घोषणा

सदन के समय में वृद्धि

सभापति महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि आज की कार्यसूची में सम्मिलित सभी विषयों पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाये.

16. वित्तीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

14. श्री दिनेश गुर्जर
15. श्री अनिरूद्ध माधव मारू

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

16. श्री महेश परमार
17. श्री कैलाश कुशवाह

17. अध्यक्षीय घोषणा

माननीय सदस्यों हेतु चाय की व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि माननीय सदस्यों के लिए लॉबी में चाय की व्यवस्था की गई है. सभी अपनी सुविधानुसार चाय ग्रहण कर सकते है.

18. वित्तीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

18. डॉ. अभिलाष पाण्डेय
19. श्री लखन घनघोरिया
20. श्री दिलीप सिंह परिहार

सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए.

21. श्री मधु भाऊ भगत
22. श्री प्रताप ग्रेवाल
23. श्री राजन मण्डलोई
24. श्री महेन्द्र नागेश

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

25. डॉ. हिरालाल अलावा
26. श्री रजनीश हरवंश सिंह
27. श्री सुरेश राजे
28. श्री विजय रेवनाथ चौरे

(चर्चा अपूर्ण)

अपराह्न 07.32 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 05 दिसम्बर, 2025 (अग्रहायण 14, शक संवत् 1947) के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अरविन्द शर्मा
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल
दिनांक : 04 दिसम्बर, 2025